Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

जनजाति विभाग द्वारा संचालित मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल विद्यालय की शैक्षिक व सहशैक्षिक उपलब्धियों का अध्ययन

नरेन्द्र कुमार* डॉ. सुभाष पुरोहित**

* शोधार्थी (शिक्षा) जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय (डीम्ड-टू-बी विश्वविद्यालय), उदयपुर (राज.) भारत
** शोध मार्गदर्शक (शिक्षा) जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय (डीम्ड-टू-बी विश्वविद्यालय), उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – वर्तमान समय में सम्पूर्ण विश्व एक ग्राम की भांति सामीप्य पूर्ण हो चुका है। इस स्थिति में गरीब को गणेश मानते हुए वंचित वर्ग के बालकों को उत्कृष्ट शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु एवं वैश्वीकरण, उदारीकरण, वैज्ञानिकी एक तकनीकी शिक्षा में वृद्धि के फलस्वरूप शिक्षकों की शिक्षण विधियों एवं छात्र-छात्राओं के अधिगम हेतु नवीन उपकरणों, संसाधनों एवं आधुनिक युक्तियों का प्रयोग अवश्य भावी हो गया है। राष्ट्र के सवर्णिम भविष्य के लिए माध्यमिक स्तर की शिक्षा हेतु 14 से 18 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं के विचार से 15 अगस्त 2007 को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में एक आदर्श विद्यालय की स्थापना की अवधारणा की गई।

भारत सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन, सामाजिक उत्थान, चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करने हेतु पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण एवं शहरी वर्गों के लिए अनेक योजनाएं बनाई जा रही हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षो के बाद भी हमारा देश आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं अन्य दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ हैं किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं राष्ट्र के विकास के लिए राष्ट्र के नागरिकों को शिक्षित होना परम आवश्यक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में बडी द्रुतगति से शिक्षा का विकास हुआ। शिक्षा एक ऐसी गतिशील प्रक्रिया है जो बालक को देशकाल तथा परिस्थिति के अनुसार अग्रसर करती है। शिक्षा व्यक्तिगत विकास के माध्यम से सामाजिक विकास कर मनुष्य में मनुष्यता संचारित करने में सहायता करती हैं इस प्रकार बालक का समुचित विकास शिक्षा से सही संभव है। हमारे संविधान में केन्द्र सरकार के शिक्षा सम्बन्धी दायित्वों तथा नीति के मार्गदर्शन सिद्धान्तों में शिक्षा सम्बन्धी दायित्वों तथा नीति के मार्गदर्शन सिद्धान्तों में शिक्षा संबंधी प्रावधान की धारा 45 में स्पष्ट किया गया है तथा आजादी के बाद शिक्षाविदों तथा राजनीतिज्ञों द्वारा यह संकल्पना की गई है कि पंचवर्षीय योजनाओं से देश में बालक शिक्षा से लाभान्वित हो सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से लेकर पंचवर्षीय योजनाओं तथा नई शिक्षा नीति से लेकर संवैधानिक प्रावधानों में भी गुणवत्तापरक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के कई प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे है। वर्तमान शिक्षा प्रक्रिया में बालकों की अपने अधिकतम विकास करने के अवसर दिए जाते है। क्योंकि यह समाज का एक अंग है एवं समाज की प्रत्येक बालक से कुछ अपेक्षाएं है। शिक्षा का लक्ष्य न केवल व्यक्तित्व का विकास करना है अपितु सामाजिक विकास करना भी इसका लक्ष्य है और गाँवों में छात्रों के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था भी नही हैं अत: इन कारणों से मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई। इन विद्यालयों में छात्रों को रहने व शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। छात्रों को न केवल उच्चतर शिक्षा दी जाती है अपितु उन्हें सामाजिक बनने का अवसर भी मिलता है।

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के बालकों के लिए मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई।

जनजाति विभाग द्वारा संचालित मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल विद्यालय की स्थापना बालकों की शैक्षिक उन्नति के लिए की गई है। इन विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य शिक्षा से वंचित बालकों को आवास सहित सुविधा उपलब्ध कराना है।

उदयपुर के जनजाति विभाग के प्रायोजना अधिकारी एवं टीम सदस्यों की गुजरात में संचालित आवासीय विद्यालय की रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिये गए रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में जनजाति विभाग द्वारा संचालित मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया। राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में अनुच्छेद 275 (1) के तहत जनजाति विभाग द्वारा संचालित मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल विद्यालय की स्थापना की गई। सन् 2001 में सर्वप्रथम सलुम्बर तहसील में जनजाति विभाग द्वारा संचालित मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल विद्यालय की स्थापना की गई है।

जनजाति विभाग द्वारा संचालित मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल विद्यालय का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (एस.टी) के छात्रों को गुणवत्ता वाले मध्य और उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करना है, न केवल उन्हें उच्च और पेशेवर शैक्षिक पाठ्यक्रमों में सरकारी और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में रोजगार का लाभ उठाने में सक्षम बनाना है। गैर-अनुसूचित जनजाति की आबादी के समान शिक्षा के सर्वोत्तम अवसरों तक पहुंच के लिए भी इन विद्यालयों की स्थापना की गई साथ ही इनसे जो प्राप्तियाँ होगी वे इस प्रकार है :-

1. प्रत्येक जनजाति विभाग द्वारा संचालित मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल विद्यालय में नामांकित सभी छात्रों के व्यापक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से विकास होगा।
2. मानक (कक्षा) 11 और 12 में उन लोगों के लिए शैक्षिक सहायता पर अलग-अलग फोकस किया जाना चाहिए और उन मानकों के अनुसार जिन्हें कक्षा 6 से 10 माने, ताकि उनकी विशिष्ट

आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

3. वार्षिक चलने वाले खर्चों का समर्थ ऐसे तरीके से करें जो कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक प्रदान करता है और सुविधाओं की देखभाल करता हे।
4. छात्र जीवन की शिक्षा शारीरिक, पर्यावरण और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को प्रदान करने वाली बुनियादी ढांचे के निर्माण का समर्थन करना।

समस्या का औचित्य – वर्तमान शिक्षा प्रक्रिया में बालक को अपने अधिकतम विकास करने के अवसर दिए जाते है, क्योंकि यह समाज का एक अंग एवं समाज के प्रत्येक बालक से कुछ अपेक्षाएं है। शिक्षा का लक्ष्य न केवल व्यक्तिगत विकास करना है। अपितु सामाजिक विकास करना भी इसका लक्ष्य है। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई।

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के बालक बालिकाओं की अनुभत समस्याओं एवं इन विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के विषय में अध्ययन करना शोध की दृष्टि से उपयोगी होगा। आदिवासी बालक–बालिकाओं में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए यह विद्यालय कहाँ तक साबित हो रहे है?

शोध विधि – प्रस्तुत शोध अध्ययन में समस्या की प्रकृति को देखते हुए शोधकर्ता द्वारा शोध में केस स्टडी (वैयक्तिक अध्ययन) का प्रयोग किया गया।

शोध उपकरण –संरचित साक्षात्कार अनुसूची:

1. संभागीय आयुक्त
2. प्रधानाचार्य
3. वार्डन
4. शिक्षक
5. पी.टी.आई
6. पुस्तकालय अध्यक्ष
7. अभिभावक

अध्ययन क्षेत्र का परिसीमन – आज ज्ञान का विभिन्न क्षेत्रों में इतना व्यापक प्रचार एवं प्रसार हो गया है कि किसी भी विषय का क्षेत्र अपने आप में असीमित है। अत: समस्या का परिसीमन निम्नानुसार किया गया :–

1. प्रस्तुत शोध कार्य को राजस्थान राज्य तक ही सीमित किया गया।

न्यादर्श का चयन – शोध कार्य में शोधार्थी द्वारा उदयपुर जिले में राजस्थान सरकार के जनजाति क्षेत्रीय विभाग द्वारा संचालित मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल विद्यालय ढीकली एवं सलुम्बर का चयन किया। प्रत्येक विद्यालय से प्राचार्य एवं वार्डन का चयन किया गया। प्रत्येक विद्यालय से 5 शिक्षकों का चयन करते हुए कुल 10 शिक्षकों का चयन किया गया। इनमें उन्हीं शिक्षकों का चयन किया गया है जो विद्यालय में 3 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत है। 5 से अधिक शिक्षकों की संख्या होने पर ज्यादा समय से कार्यरत शिक्षकों का चयन किया गया। प्रत्येक विद्यालय में कक्षा 10 से 12 में अध्ययनरत 45 छात्रों का चयन यादृच्छिक विधि से करते हुए कुल 90 छात्रों का चयन किया गया। प्रत्येक विद्यालय से 10 छात्रों के अभिभावकों का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया। न्यादर्श का स्वरूप इस प्रकार :–

जनजाति क्षेत्र विभाग द्वारा मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल विद्यालय

ढीकली **सलुम्बर**

क्र.	समूह
1.	संभागीय आयुक्त
2.	प्राचार्य
3.	शिक्षक
4.	वार्डन
5.	छात्र
6.	अभिभावक
7.	शारीरिक शिक्षक

क्र.	समूह	केस–1	केस–2	कुल
1.	प्राचार्य	1	1	2
2.	शिक्षक	5	5	10
3.	वार्डन	1	1	2
4.	छात्र	45	45	90
5.	अभिभावक	10	10	20
6.	शारीरिक शिक्षक	1	1	2

जनजाति क्षेत्र विभाग द्वारा मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल विद्यालयों की शैक्षिक गतिविधि – शोधार्थी द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विभाग द्वारा राजस्थान राज्य में संचालित 6 जनजाति क्षेत्र विभाग द्वारा मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल विद्यालयों का व्यक्तित्व अध्ययन करने पर विद्यालयों की शैक्षिक उपलब्धियां निम्न प्रकार से पायी गयी :–

सारणी संख्या –1: जनजाति क्षेत्र विभाग द्वारा मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल विद्यालय, सलुम्बर के गत तीन वर्षों का परीक्षा परिणाम

कक्षा	वर्ष 2015	वर्ष 2016	वर्ष 2017
VI	100%	100%	88.23%
VII	100%	100%	95.12%
VIII	100%	90%	86.11%
IX	75.51%	71.43%	72%
X	92.3%	91.1%	100%
XI	100%	76.74%	100%
XII	100%	57.5%	100%

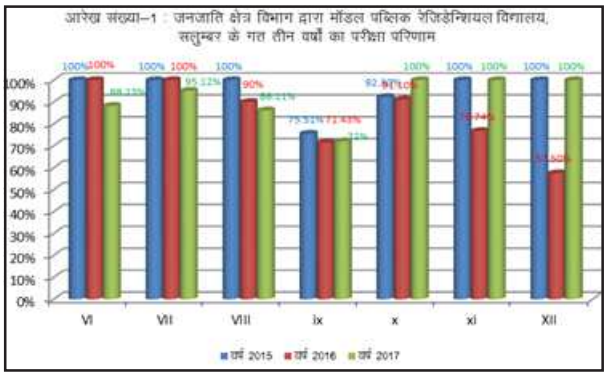

व्याख्या – शोधार्थी द्वारा जनजाति क्षेत्र विभाग द्वारा मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल विद्यालय, सलुम्बर के गत तीन वर्षों का परीक्षा परिणाम का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित परिणाम पाये गये है:–

1. वर्ष 2015 में कक्षा 6 तथा 10 के अलावा सभी कक्षाओं का परिणाम शत प्रतिशत रहा है।
2. वर्ष 2016 में कक्षा 9 व 12 का परीक्षा परिणाम वर्ष 2015 की अपेक्षा शिक्षकों की कमी के कारण कम रहा है।
3. वर्ष 2017 में कक्षा 9वीं का परीक्षा परिणाम अन्य कक्षाओं के परीक्षा परिणाम से कम पाया गया है।

सारणी संख्या – 2: जनजाति क्षेत्र विभाग द्वारा मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल विद्यालय, ढीकली के गत तीन वर्षों का परीक्षा परिणाम

कक्षा	वर्ष 2015	वर्ष 2016	वर्ष 2017
VI	97.8%	100%	100%
VII	85.7%	100%	100%
VIII	92.23%	100%	100%
IX	90.2%	62.5%	50%
X	60%	60.6%	77.4%
XI	100%	100%	100%
XII	100%	80.6%	74.2%

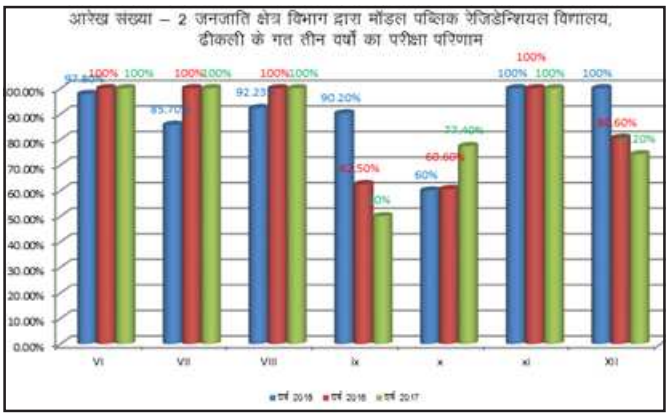

व्याख्या – शोधार्थी द्वारा जनजाति क्षेत्र विभाग द्वारा मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल विद्यालय, ढीकली के गत तीन वर्षों का परीक्षा परिणाम का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित परिणाम पाये गये है:–

1. वर्ष 2015 में कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम अन्य कक्षाओं की तुलना में बहुत कम रहा है।
2. वर्ष 2016 में कक्षा 9 व 10 का परीक्षा परिणाम अन्य कक्षाओं की तुलना में बहुत कम रहा है।
3. वर्ष 2017 में कक्षा 9 व 12 का परीक्षा परिणाम अन्य कक्षाओं की तुलना में बहुत कम रहा है।

शोध निष्कर्ष – शोधार्थी द्वारा शोधकार्य में निम्न निष्कर्ष पाये गये :–

1. जनजाति विभाग द्वारा संचालित मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल विद्यालय का वैयक्तिक अध्ययन करने पर पाया गया है कि राजस्थान राज्य में संचालित जनजाति विभाग द्वारा संचालित मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल विद्यालय राजस्थान के आदिवासी जनजाति क्षेत्र मे उपयोजना क्षेत्र में संचालित हैं शोधार्थी ने पाया कि अधिकांश 90 प्रतिशत जनसंख्या है, जिनका शिक्षा स्तर न्यून के बराबर हैं अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य, पशुपालन करके जीवनयापन करते हैं स्वतन्त्रता के पश्चात् शिक्षा का स्तर बढ़ाने हेतु भारत व राजस्थान सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किए जा रहे है। शिक्षा स्तर बढ़ाने हेतु नि:शुल्क व आवासीय सुविधा भी प्रदान की गई। राजस्थान सरकार द्वारा आश्रम छात्रावास, कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय नवोदय विद्यालय, खेल छात्रावास आदि आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई। शिक्षा विस्तार हेतु सरकार द्वारा निरन्तर किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहा है। शिक्षा का विस्तार जनसंख्या के व्यक्तित्व, सामाजिक व आर्थिक पर दिखाई दे रहा है।

2. **प्रवेश प्रक्रिया –** जनजाति विभाग द्वारा संचालित मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल विद्यालय का वैयक्तिक अध्ययन करने पर शोधार्थी ने पाया कि सभी जनजाति विभाग द्वारा संचालित मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया एक समान है। प्रवेश हेतु जनजाति विभाग द्वारा राष्ट्रीय अखबार मे प्रवेश विज्ञप्ति जारी की जाती है। जिसमें 50 प्रतिशत छात्र जिले के, 30 प्रतिशत छात्र राज्य के एवं 20 प्रतिशत छात्र उपयोजन क्षेत्र (T.S.P.) के छात्रों को प्रवेश दिया जाता हैं। प्रवेश सिर्फ आदिवासी छात्रों को दिया जाता है जिनके अभिभावक कर दाता नहीं होते है। प्रवेश हेतु लिखित परीक्षा प्रक्रिया व साक्षात्कार कराये जाते है। प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाता है। प्रवेश प्रक्रिया में राजनैतिक व स्थानीय प्रतिनिधियों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता हैं जनजाति विभाग द्वारा संचालित मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल विद्यालय मे आदिवासी छात्रों को पारदर्शिता से प्रवेश प्रक्रिया कराके प्रवेश दिया जाता है। प्रवेश प्रक्रिया का मुख्य संरक्षक जनजाति विकास विभाग के संभागीय आयुक्त होता है। जिसके अधीनस्थ योजना अधिकारी होता है। योजना अधिकारी द्वारा सभी जनजाति विभाग द्वारा संचालित मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल विद्यालय के प्राचार्य व शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में सदस्य होते है। प्रवेश प्रक्रिया के समस्त अधिकारी व दायित्व संरक्षक के पास सुरक्षित रहते है।

शैक्षिक निहितार्थ – प्रस्तुत शोध कार्य जनजाति विभाग, प्राचार्यो, शिक्षकों, वार्डन, छात्रो, अभिभावकों, समुदाय, पुस्तकालय एवं शारीरिक शिक्षक के लिए उपयोगी है। जिनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है :–

1. **जनजाति विभाग के लिए** – जनजाति विभाग को समय–समय पर जनजाति विभाग द्वारा संचालित मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल विद्यालयों के विकास/उन्नयन हेतु प्रयास किए जाने चाहिए। शारीरिक शिक्षक, कम्प्यूटर शिक्षक एवं लेब सहायक की नियुक्ति भी होवे। शिक्षकों के अभाव में शिक्षण का उपयोग छात्र हित में नही हो पा रहा है।
2. **प्राचार्यो के लिए –** जनजाति क्षेत्रीय विभाग द्वारा संचालित जनजाति विभाग द्वारा संचालित मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल विद्यालय की शिक्षण आवास संबंधी सुविधा से अधिकतम से अधिकतम अध्ययनरत छात्र लाभान्वित होवें। शिक्षा का स्तर बढ़ाने हेतु शिक्षण की नई तकनीकी व प्रविधियों की उपलबधता छात्रों व शिक्षकों को करावें।
3. **शिक्षक के लिए** – जनजाति क्षेत्रीय विभाग द्वारा संचालित जनजाति विभाग द्वारा संचालित मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल विद्यालय के शिक्षक शिक्षा के उन्नयन स्तर हेतु कक्षा–कक्ष में शिक्षण में उपयोग कर छात्रों को नवीनतम शिक्षण तकनीक के माध्यम शिक्षण को आसान व आकर्षक बना सके। अतिरिक्त कार्यभार से शिक्षण प्रभावित होता है।
4. **वार्डन के लिए** – जनजाति क्षेत्रीय विभाग द्वारा संचालित जनजाति विभाग द्वारा संचालित मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल विद्यालय में वार्डन के साथ वार्डन सहायक की नियुक्ति की जाए, जिससे वार्डन का कार्यभार कम

तथा अवकाश पर जाने में समस्या उत्पन्न नहीं हो। सरकार द्वारा प्रदत्ता सुविधाओं को छात्रों को लाभान्वित करने में सहायता मिलती है। वार्डन की प्रबन्धन कुशलता व क्षमता में वृद्धि होती है।

5. छात्रों के लिए – जनजाति क्षेत्रीय विभाग द्वारा संचालित जनजाति विभाग द्वारा संचालित मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल विद्यालय में शिक्षक, अनुदेशक तथा कार्यालय कर्मचारी की नियुक्ति निम्नानुसार हो।

i. जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके।
ii. छात्रों की शैक्षिक व सहशैक्षिक उपलब्धियाँ हो सके।
iii. छात्रो को कम्प्यूटर व तकनीकी का अधिक से अधिक ज्ञान दे। लाभान्वित कर सके, जिससे छात्रों का वैयक्तिक व शैक्षिक जीवन स्तर उन्नयन हो सके।

6. अभिभावकों के लिए – जनजाति क्षेत्रीय विभाग द्वारा संचालित जनजाति विभाग द्वारा संचालित मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल विद्यालय में अध्ययनरनत् विद्यार्थियों के अभिभावक समय–समय पर विद्यालय प्रशासन से छात्रों के शैक्षिक व सहशैक्षिक उपलब्धि के बारे में पता करें। विद्यालय प्रशासन से छात्रों की शैक्षिक व सहशैक्षिक उपलब्धि उन्नयन हेतु चर्चा विचार–विमर्श करके सहयोग प्रदान करें।

i. जनजाति क्षेत्रीय विभाग द्वारा संचालित जनजाति विभाग द्वारा संचालित मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल विद्यालय में अभिभावकों को चाहिए कि छात्रों को अनावश्यक विद्यालय से अवकाश दिलाकर घरेलू कार्य न करावे।
ii. जनजाति क्षेत्रीय विभाग द्वारा संचालित जनजाति विभाग द्वारा संचालित मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल विद्यालय में छात्रों को वर्षभर सत्र दिवस में अधिकतर समय विद्यालयों में ही व्यतीत करने देवे।
iii. जनजाति क्षेत्रीय विभाग द्वारा संचालित जनजाति विभाग द्वारा संचालित मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल विद्यालय में प्राप्त सुविधाओं का छात्रो को लाभान्वित कराने हेतु सुसभ्य नागरिक बनाकर उज्जवल देश निर्माण में सहायता प्रदान करावे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. अनुसूचित जातियों व जनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की रिपोर्ट, (26वीं) भाग–1, 289–79, पृष्ठ 1–2
2. Dixit. U.N. (Director) : "A govt. of India Project on Tribal Education Ministry of Human Resource Development (Department of Education)". June-1987, New Delhi – Inter District variation in the development of Tribal Education in Rajasthan. {.37, Chapter V.
3. Imperial Gazettear of India Provincial series Rajputana, 1989, Superintendent of Govt. Printing Calcutta, P.87.
4. Imperial Gazettear of India Provincial series Rajputana, 1908, Superintendent of Govt. Printing Calcutta, P.36.
5. Jain, S.C. : "Community Development Panchayati Raj in India", 1987, Preface Allied Publishers.
6. Nanda, Sachchida : "The Social" Problems of the Education of Schedule Tries", 1967, Edited by M.S. Gore, Desai & Suma Chitnis Sociology of Education in India, P.204-5.
7. नवल, मदनलाल : 'अनुसूचित जातियां एवं अनुजातियां (राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में)', 1989, ब्रिलियन्ट पब्लिशर्स, शाहदरा दिल्ली, पृ.153।
8. Roat, Harish Chandra : "Tribal Settlement System and Development Strategy, 1987, Himanshu Publications, Udaipur (Rajasthan.) P. 37-38,
9. Shering, M.A. : "The Tribes and Casted of Rajasthan", 1975, Cosmo Publications Delhi, P. 78
10. Shering, M.A. : "The Tribes and Casted of Rajasthan", 1975, Cosmo Publications Delhi, P. 81-82.
11. Singh, K.P : Tribal Development .in India", 1988, Uppal Publishing House, New Delhi, P. 344.
12. Singhi, Ajit K. : "Tribal Development in India", 1984, Classical Publishing Co., New Delhi, P.88.
13. Singhi, N.K : "Education and Social Change" 1979, Rawat Publications Jaipur. P. 299.
14. Thakkar, A.V. : "The Problems of Primitive Tribes of India".
15. Tharamvir : "Tribal Women Changing Spectrum in India", 1990, Preface Classical Publishing Company, New Delhi.
16. टॉड लिखित राजस्थान का इतिहास (Annals and Antiquities of Rajasthan) हिन्दी अनुवाद अनुवादक केशव कुमार ठाकुर, द्वितीय संस्करण, 1965, पृ. 78, आदर्श हिन्दी पुस्तकालय इलाहाबाद।
17. Vidyarthi. L.P. (ed) : "Tribal Development and its administration". 1981, Concept Publishing Company, New Delhi, P. 341-343.
18. व्यास, कैलाशनाथ :'राजस्थान की जातियों का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन', 1992 जगदीश सिंह गहलोत शोध संस्थान, जयपुर, पृ. 267।
19. Vyas, N.N. and Singh, J.P. : "Tribal Development Past efforts and new Challenges". 1986, Himanshu Publication, Udaipur. P.-129
20. Vyas, N.N. and Singh, J.P. (Ed.) : "Tribal Development in Rajasthan Past efforts and new Challenges". 1989, Himanshu Publication, Udaipur. P.-130

****